भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1730
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

1730. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत प्रत्येक चरण (चरण I, II और III) में गोद लिए गए गांवों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने योजना के तहत गांवों को गोद लिया है;
(ग) यदि नहीं, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए कारण या गैर -भागीदारी के लिए सरकार द्वारा क्या कारण चिह्नित किए गए हैं;
(घ) एसएजीवाई की शुरुआत से इसके तहत वित्तीय आवंटन और किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है और गोद लिए गए गांवों में विकास कार्यों के लिए वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं; और
(ङ) कुल गोद लिए गए गांवों में से , उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने योजना द्वारा निर्धारित मानकों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत प्रथम चरण (2014-2016), द्वितीय चरण (2016-2018) और तृतीय चरण (2018-2019) के दौरान कुल 1440 ग्राम पंचायतों/गांवों को गोद लिया गया था। राज्य -वार और वर्ष-वार डेटा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख)और(ग) जी नहीं। समीक्षा अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चला है कि कुछ सांसदों ने समर्पित निधि की कमी और संसाधन समन्वय के दौरान आ रही समस्याओं के कारण एसएजीवाई के तहत ग्राम पंचायतों को गोद लेने में संकोच किया।

(घ) एसएजीवाई 100% अभिसरण आधारित योजना है जिसके तहत शुरू की गई विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। एसएजीवाई परियोजनाओं के लिए संसाधन , केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं , संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), विधान सभा सदस्य विकास निधि (एमएलएएलएडी) और सीएसआर निधि के तहत उपलब्ध निधियों से जुटाए जाते हैं।

(ङ) एसएजीवाई के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतें माननीय संसद सदस्यों के मार्गदर्शन में एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती है ताकि संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से गांव की समग्र प्रगति की जा सके। चरण-I, II और III के दौरान गोद ली गई कुल 924 ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास योजनाओं के तहत प्लान की गई गतिविधियों का 100% काम पूरा कर लिया हैं।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1730 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसएजीवाईके तहत चरण I, II और III में गोद ली गई ग्राम पंचायतों का राज्यवार और वर्ष-वार आंकड़ें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएजीवाई के तहत चिह्नित ग्राम पंचायत			कुल
		चरण-I (2014-2016)	चरण -II (2016-2018)	चरण -III (2018-2019)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	3
2	आंध्र प्रदेश	32	19	15	66
3	अरुणाचल प्रदेश	3	1	1	5
4	असम	21	7	2	30
5	बिहार	53	13	6	72
6	चंडीगढ़	1	1	0	2
7	छत्तीसगढ	16	16	11	43
8	दिल्ली	4	0	0	4
9	गोवा	3	1	0	4
10	गुजरात	37	29	9	75
11	हरियाणा	15	11	7	33
12	हिमाचल प्रदेश	7	5	3	15
13	जम्मू और कश्मीर	9	5	0	14
14	झारखंड	20	19	13	52
15	कर्नाटक	39	17	2	58
16	केरल	31	29	23	83
17	लद्दाख	1	0	0	1
18	लक्षद्वीप	1	0	0	1
19	मध्य प्रदेश	37	16	10	63
20	महाराष्ट्र	70	46	13	129
21	मणिपुर	3	4	5	12
22	मेघालय	4	2	0	6

23	मिजोरम	2	2	1	5
24	नागालैंड	2	1	1	4
25	ओडिशा	28	12	7	47
26	पुदुचेरी	2	0	0	2
27	पंजाब	20	4	1	25
28	राजस्थान	34	31	17	82
29	सिक्किम	2	2	2	6
30	तमिलनाडु	58	55	45	158
31	तेलंगाना	22	14	9	45
32	त्रिपुरा	3	0	0	3
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1	0	0	1
34	उत्तर प्रदेश	104	99	69	272
35	उत्तराखंड	7	6	3	16
36	पश्चिम बंगाल	3	0	0	3
	कुल योग	**696**	**468**	**276**	**1440**

******